न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 133/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 06.06.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

शीला गोयल पत्नि उत्तमचन्द जाति महाजन निवासी सांगोद जिला कोटा (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. दिनेश पुत्र देवीशंकर अग्रवाल जाति महाजन निवासी बडोद जिला कोटा
2. धनकंवर पुत्री देवीशंकर अग्रवाल पत्नि सत्यनारायण जाति महाजन निवासी बड़ोद जिला कोटा हाल मुकाम इटावा, जिला कोटा
3. मंजू पुत्री देवीशंकर अग्रवाल पत्नि अशोक जाति महाजन निवासी बड़ोद जिला कोटा हाल मुकाम केलवाडा जिला बांरा
4. उषा पुत्री देवीशंकर अग्रवाल पत्नि हुकुमचंद जैन जाति महाजन निवासी बड़ोद जिला कोटा हाल मुकाम कोटा
5. जयप्रकाश पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति महाजन, निवासी अर्जुनपुरा, कोटा, जिला कोटा
6. मिथलेश पुत्री गिर्राज प्रसाद जाति महाजन पत्नि शम्भुदयाल यादव निवासी अर्जुनपुरा, जिला कोटा हाल मुकाम खातोली, जिला कोटा
7. शीला कुमारी पुत्री गिर्राज प्रसाद पत्नि राजूलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी अर्जुनपुरा, कोटा, जिला कोटा हाल मुकाम गुर्जर का मोहल्ला, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

.....रेस्पोडेंन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम गर्ग, श्री भानूप्रताप सिंह अभिभाषकगण – अपीलार्थी
श्री भारत सिंह अड़सेला, अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 05.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) के द्वारा प्रकरण संख्या 104/2024 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा

5/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

135(2) में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण जयप्रकाश पुत्र गिरिराज एवं दिनेश कुमार पुत्र देवीशंकर महाजन के द्वारा दिनांक 29.12.2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीयान की ताई कमला बाई बैवा कस्तूर चन्द जाति महाजन के नाम वाके ग्राम अयाना में खाता संख्या 90 रकबा 4.89 है0 में हिस्सा 1/2 निहित हैं, खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। उनके स्थान पर वैध वारिसान का नाम जरिये फौती नामांतरकरण की दर्ज फरमाया जावे। साथ ही दिनांक 19.10.2023 को शीला गोयल पत्नि उत्तमचन्द महाजन के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमती कमला बाई बैवा कस्तूरचंद महाजन निवासी अयाना तहसील पीपल्दा के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा सं0 1409 की 1.30 है0, खसरा सं0 1494 की 0.07 है0, खसरा सं0 2745 की 2.17 है0, खसरा सं0 2823 की 0.90 है0, खसरा सं0 661 की 0.23 है0 कुल किता 5 की रकबा 4.67 है0 में 1/2 हिस्सा निहित होने से कमला बाई की मृत्यु दिनांक 12.03.2023 में होना जाहिर करते हुए उनके द्वारा अपनी भतीजी शीला गोयल के पक्ष में वसीयत करवाये जाने का वर्णित करते हुए उक्तानुसार नामांतरकरण खोले जाने को अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्रों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पीपल्दा के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अयाना की उपरोक्त वर्णित आराजी कुल किता 5 की रकबा 4.67 है0 भूमि में खातेदार मृतका कमलाबाई पत्नि कस्तूरचंद हिस्सा 1/2 जाति महाजन निवासी अयाना के नाम स्थान पर शजरा अनुसार देवीशंकर के वारिसान दिनेश पुत्र देवीशंकर, धनकंवर, मन्जू, उषा पुत्रियां देवीशंकर हिस्सा 1/4 तथा गिर्राज के वारिसान जयप्रकाश पुत्र गिर्राज मिथलेश, शीलाकुमारी पुत्रियां गिर्राज हिस्सा 1/4 जाति महाजन का नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 06.05.2024 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 104/2024 निर्णय दिनांक 06.05.2024 को ग्राम अयाना की कृषि भूमि आराजी खसरा न. 1409, 1494, 2745, 2823, 661 कुल किता 5 कुल रकबा 4.67 हेक्टयेर में से खातेदार मृतक कमला बाई पत्नि कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कृषि भूमि का

5/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 ता 7 के हक में खोले जाने का आदेश पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.10.2023 को प्रस्तुत किया जाकर नोटेरी से प्रमाणित वसीयत दिनांक 19.12.2022 के आधार पर खातेदारी दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया था, जबकि रेस्पोडेंन्ट क्रम 5 जयप्रकाश एवं क्रम 1 दिनेश द्वारा द्वितीय प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.12.2023 को प्रस्तुत किया गया था। जिसकी विधि सम्मत जाँच नही कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। मृतक खातेदार कमला बाई के विवाह के पश्चात निसंतान पति कस्तूरचंद की मृत्यु के पश्चात अपने पीहर पिता गुलाबचंद व भाई हेमराज के साथ रहकर जीवन यापन करती थी तथा भाई हेमराज की पुत्री शीला पत्नि उत्तमचंद से अपार स्नेह रखती थी इस कारण उसके हक में नोटेरी से प्रमाणित वसीयतनामा तहरीर कराया गया था तथा अपनी कृषि भूमि व संपत्ति का वारिस घोषित किया गया था। विवादित आराजी पुश्तेनी है, जो पूर्व में लक्ष्मीचंद के खाते की थी उनके 3 पुत्र देवीशंकर, कस्तूरचंद एवं गिर्राज थे। सबसे बड़े पुत्र देवीशंकर को पृथक से लगभग 20 बीघा आराजी खाते दर्ज करा दी थी तथा 2 छोटे पुत्र कस्तूरचंद व गिर्राज को विवादित कृषि भूमि में हिस्सा बराबर प्राप्त हुई थी, जिसमे से सबसे छोटे पुत्र गिर्राज द्वारा अपने हिस्सा 1/2 का बेचान जरिये रजिस्ट्री हिस्सा 1/4 रसूल मोहम्मद पुत्र मांगीलाल जाति मुसलमान एवं हिस्सा जितेन्द्र पुत्र रामप्रसाद मीना को वर्ष 2002–2003 में बेचान कर दी थी इस प्रकार वर्तमान में विवादित आराजी में रेस्पोडेंन्ट क्रम 1 ता 7 का किसी प्रकार का हक व अधिकार प्रमाणित नहीं होता है। मृतक खातेदार कमला बाई द्वारा अपने हिस्से की आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत तहसील पीपल्दा में जाकर करने का प्रयास अक्टूबर 2022 में किया था, लेकिन कृषि भूमि स्व–अर्जित न होकर पुश्तेनी होने के कारण रजिस्टर्ड वसीयत करने से मना कर दिया था तथा सलाह दी थी की वसीयत नोटेरी से प्रमाणित करा ली जावे। मृतक खातेदार कमला बाई से उसके पति कस्तूरचंद की मृत्यु के पश्चात उसके जेठ देवीशंकर व देवर गिर्राज ने अपने जीवन काल में पारिवारिक रिश्ते नहीं निभाये, इसी प्रकार उनके वारिसान रेस्पोडेंन्ट क्रम 1 ता 7 द्वारा नहीं निभाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 व 16 की गलत व्याख्या की गयी है तथा हिन्दू महिला को वसीयत करने का अधिकार होते हुये भी अपीलार्थी को विधिक उत्तराधिकारी नहीं मान कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। मृतक खातेदार कमला बाई अपने पति कस्तूरचंद की मृत्यु के पश्चात अपने जेठ व देवर द्वारा पारिवारिक रिश्ते नहीं निभाने के कारण अपने पीहर नाहरगढ़ में आकर अपने पिता गुलाबचंद व भाई हेमराज के साथ रहकर जीवन यापन करती थी तथा अपीलार्थी ही अपनी भुआ कमला बाई की सेवा करती थी, जिसरो

5/06/2025

उनके द्वारा वसीयत तहरीर करायी थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं की है तथा विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.05.2024 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी के हक में विवादित आराजी का इंतकाल खोलने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.10.2023 को प्रस्तुत किया जाकर नोटेरी से प्रमाणित वसीयत दिनांक 19.12.2022 के आधार पर खातेदारी दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया था। मृतक खातेदार कमला बाई के विवाह के पश्चात निसंतान पति कस्तूरचंद की मृत्यु के पश्चात अपने पीहर पिता गुलाबचंद व भाई हेमराज के साथ रहकर जीवन यापन करती थी तथा भाई हेमराज की पुत्री शीला पत्नि उत्तमचंद से अपार स्नेह रखती थी इस कारण उसके हक में नोटेरी से प्रमाणित वसीयतनामा तहरीर कराया गया था तथा अपनी कृषि भूमि व संपत्ति का वारिस घोषित किया गया था। विवादित आराजी पुश्तेनी है, जो पूर्व में लक्ष्मीचंद के खाते की थी उनके 3 पुत्र देवीशंकर, कस्तूरचंद एवं गिर्राज थे। सबसे बड़े पुत्र देवीशंकर को पृथक से लगभग 20 बीघा आराजी खाते दर्ज करा दी थी तथा 2 छोटे पुत्र कस्तूरचंद व गिर्राज को विवादित कृषि भूमि में हिस्सा बराबर प्राप्त हुई थी, जिसमे से सबसे छोटे पुत्र गिर्राज द्वारा अपने हिस्सा 1/2 का बेचान जरिये रजिस्ट्री हिस्सा 1/4 रसूल मोहम्मद पुत्र मांगीलाल जाति मुसलमान एवं हिस्सा जितेन्द्र पुत्र रामप्रसाद मीना को वर्ष 2002–2003 में बेचान कर दी थी इस प्रकार वर्तमान में विवादित आराजी में रेस्पोडेंन्ट क्रम 1 ता 7 का किसी प्रकार का हक व अधिकार प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 व 16 की गलत व्याख्या की गयी है तथा हिन्दू महिला को वसीयत करने का अधिकार होते हुये भी अपीलार्थी को विधिक उत्तराधिकारी नहीं मान कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। मृतक खातेदार कमला बाई अपने पति कस्तूरचंद की मृत्यु के पश्चात अपने जेठ व देवर द्वारा पारिवारिक रिश्ते नहीं निभाने के कारण अपने

5/06/2025
अति. स. अधिकारी
कोटा

पीहर नाहरगढ़ में आकर अपने पिता गुलाबचंद व भाई हेमराज के साथ रहकर जीवन यापन करती थी तथा अपीलार्थी ही अपनी भुआ कमला बाई की सेवा करती थी, जिससे उनके द्वारा वसीयत तहरीर करायी थी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.05.2024 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी के हक में विवादित आराजी का इंतकाल खोले जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कमला बाई पत्नि कस्तूरचंद के हिस्सा 1/2 दर्ज थी। कमला बाई को उक्त आराजी विरासत में अपने पति से प्राप्त हुई है, जिसे अपीलार्थी के द्वारा स्वयं अपील मीमो में स्वीकार किया गया है। कमला बाई एवं कस्तूर चन्द लाऔलाद फौत हुए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 एवं 16 के अनुसार हिन्दू नारी की दशा में द्वितीय श्रेणी में पति के वारिसान को उक्त आराजी जाती है तथा उक्त श्रेणी में रेस्पो0 आते हैं। प्रश्नगत आराजी के संबधं में संबंधित पटवारी हल्का के द्वारा ही यह देखा जाना है कि वसीयत रजिस्टर्ड है अथवा अनरजिस्टर्ड। साथ ही नोटेरीशुदा वसीयत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक नहीं खोला जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय उचित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी पर अपीलार्थी का कोई अधिकार निहित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2011(1) Page No. 646, RRT 2009(1) Page No. 500 पेश किये।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के संबंध में विवेचन किया गया कि "हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 एवं 16 के अनुसार हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार का क्रम अनुसार कमलाबाई के प्रथम श्रेणी के वारिस ना होने की दशा में द्वितीय श्रेणी के वारिसों में अपने पति के वारिसों को जाता है"। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 व 16 की गलत व्याख्या की गयी है तथा हिन्दू महिला को वसीयत करने का अधिकार होते हुये भी अपीलार्थी को विधिक उत्तराधिकारी नहीं मान कर

5/06/2025

महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। इसके विपरित रेस्पो0 का कथन रहा है कि कमला बाई को उक्त आराजी विरासत में अपने पति से प्राप्त हुई है, जिसे अपीलार्थी के द्वारा स्वयं अपील मीमो में स्वीकार किया गया है। कमला बाई एवं कस्तूर चन्द लाऔलाद फौत हुए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 एवं 16 के अनुसार हिन्दू नारी की दशा में द्वितीय श्रेणी में पति के वारिसान को उक्त आराजी जाती है तथा उक्त श्रेणी में रेस्पो0 आते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के निर्णय अनुसार "मौजूद पक्षकारों के बयानात से यह प्रतीत होता है कि कमलाबाई को यह भूमि अपने पति स्व0 कस्तूरचंद से विरासत में प्राप्त हुई है। श्री कस्तूरचंद को यह जमीन अपने पिताजी लक्ष्मीचंद जी की विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति होना स्पष्ट होता है"।

इस बिन्दु पर विवेचन करने पर हमारे द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार "Any property possessed by a female Hindu, whether required before or after the commencement of this Act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner."

इस सन्दर्भ में ए.आई.आर. 2008 एस.सी पेज 1467 "widow inheriting property of her husband on his death Becomes its absolute owner" हमारा मार्गदर्शन करता है।

अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार स्पष्ट है कि हिन्दू नारी के कब्जे की कोई भी संपत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ में अर्जित हुई हो या पश्चात् अर्जित हुई हो वह उसकी पूर्ण स्वीमिनी (Absolute Owner) होगी। चूंकि कमला बाई को उक्त संपत्ति अपने पति स्व0 कस्तूरचंद से विरासत में प्राप्त होने से वह उक्त संपत्ति की Absolute Owner होना प्रकट होता है।

उक्त संपत्ति कमला बाई की absolute owner होना प्रकट होने से उसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार होना प्रकट होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 में निर्वसीयती मरने वाली नारी की संपत्ति का क्रम वर्णित किया गया है। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में कमला बाई के द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति की वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार पीपल्दा के निर्णय अनुसार वसीयत की तस्दीक

5/06/2025
अति. सं. आयुक्त

गवाहों के द्वारा भी किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को पैतृक आराजी मानकर उक्त निर्णय पारित किया त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है तथा इसी के साथ कमला बाई द्वारा वसीयत किये जाने के बावजूद निर्वसीयती मरने वाली हिंदू नारी के अनुसार नामांतरकरण खोलना भी त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा के द्वारा प्रकरण संख्या 104/2024 अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, पीपल्दा को प्रकरण इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के आलोक में पुनः नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित कर नामांतरकरण दर्ज करे।

7. निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

5/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा